

संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/21-22/008

दिनांक: 29.11.2021

सेवा में,  
श्री रमेश नाथ पाण्डेय  
पुत्र स्व०बैज नाथ पाण्डेय  
टी० -II, 237 पी०डब्लू०डी० कालोनी  
शास्त्री नगर, कानपुर नगर -208005  
मो०9415727002

**विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत आपके पत्र दिनांक 22.11.2021 के संबंध में।**

महोदय,


आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत भेजा गया पत्र दिनांक 22.11.2021 क्षेत्रीय मुख्यालय, लखनऊ को कानपुर उपकेन्द्र के माध्यम से दिनांक 25.11.2021 को प्राप्त हुआ है। पत्र के साथ में दस रुपये का नगद नोट, नोट संख्या 53H 277127, संलग्न पाया गया है। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि हमारे पावरग्रिड कार्यालय में नगद स्वीकार करने का प्रावधान नहीं है, तथा इस हेतु उचित राशि पोस्टल ऑर्डर अथवा डी०डी० के द्वारा ही स्वीकार की जाती है।

अतः आपका मूल पत्र, दस रुपये के नगद नोट के साथ, वापस भेजा जा रहा है।

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:**

श्री आर० नागपाल  
कार्यपालक निदेशक,  
पावरग्रिड उ०क्षे० - 3  
12 राणा प्रताप मार्ग,  
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ - 226001

भवदीय,

  
[राणा प्रताप]  
महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)  
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. - 3,  
पावरग्रिड, लखनऊ